


गुड़ी बनाम अमरसिंह वर्मा

<p>तारीख हुकम</p>	<p>सु.नं. 89/24 (2024/252) प्रा.पत्र-212R1A हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व अहकाम हुकम की जारी</p>
<p>27 <sup>10</sup>/<sub>25</sub></p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई व कुलपति पक्षकाराण उपस्थित। हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भाँति अवलोकन किया गया। जिससे हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि प्रकरण से संबंधित दावे में पक्षकारान के हकों का निर्धारण साक्ष्य व सबूतों तथा गुणावगुण के आधार पर हो सकेगा। तथा अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्राप्ति के हक में प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः प्राथमिक पत्र प्राप्ति इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 27.10.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सर इजलास सुनाया गया।</p> <p>पत्रावली फेसबल कुमार होकर नंबर से कम है, तथा संलग्न मूल वाद है।</p> <p style="text-align: right;">               उपखण्ड अधिकारी              भुसावर (भरतपुर) राज०           </p>	